सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

कार्तिक 17, बुधवार, *शाके* 1945-नवम्बर 08, 2023
Kartika 17, Wednesday , Saka 1945- November 08, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त 01, 2022

संख्या - 2 (14)/वन/2022 :-चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में बतलाई गई वनभूमि अथवा बंजरभूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वनउपज या उसके किसी भाग की हकदार हैं। और चूंकि सरकार पंचायत भूमि और बंजरभूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है ।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है:

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जाँच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम, संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्द्वारा, वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन, जहां तक व्यवहार्य हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा:

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाए गए कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते है और पूर्वोक्त तारीख में कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या

साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशुपालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

वेंकटेश शर्मा

शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	मौजा	विवरण	
					खसरा नम्बर	रकबा बीघा/बिस्वा
1	2	3	4	5	6	
1	करमेलिया पार्ट सी. रेंज-धरियावद	धरियावद	प्रतापगढ़	ग्राम-अम्बाव	8	110 बीघा 07 बिस्वा (23.812 हे0)
					298	46 बीघा 16 बिस्वा (10.113 हे0)
					कुल योग	157 बीघा 3 बिस्वा (33.925 हे0)
					उत्तर:- गैर वन भूमि मौजा अम्बाव पूर्व:- वनखण्ड करमेलिया-बी एवं मौजा कापड़वास की सीमा दक्षिणः- मौजा उलटन एंव कापड़वास की सीमा पश्चिम:- गैर वन भूमि मौजा अम्बाव	

सुनील कुमार, भा.व.से.,
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़।

द्वितीय अनुसूची

वनखण्ड - करमेलिया पार्ट-सी ग्राम - अम्बाव

रेंज - धरियावद तहसील - धरियावद

वन मण्डल - प्रतापगढ जिला – प्रतापगढ़

क्र.सं.	नाम प्रजाति (स्थानीय)	नाम प्रजाति (बोटेनिकल)
1	सागवान	Tectona grandis Linn.
2	तेंदू/टिमरू	Diospyros melanoxylon Roxb.
3	कसोद	Cassia siamea Linn.
4	आंवल छाल	Cassia auriculata
5	शीशम	Dalbergia sissoo Roxb.
6	बांस	Bambusa arundinacea (Retz.)
7	चुरेल	Holopteliea integrifolia Planch
8	आंवला	Emblica officianalis Gaertn
9	नीम	Azadirachta indica A.juss.
10	महुआ	Madhuca indica Gmel
11	खैर	Acacia catechu Wild
12	अरीठा	Sapindus emarginatus Valh
13	सिरस (सफेद)	Albizzia procera Benth
14	अमलतास, बरडावन	Cassia fistula Linn.
15	बेरर्	Zizyphus oenoplia
16	ईमली	Tamarindus indica Linn.
17	कड़ाया	Sterculia urens Roxb.
18	खिरनी	Wrightia tinctoria
19	बहेड़ा	Terminalia bellerica (Gaerth) Roxb.
20	रोहण	Soymida febrifuga Gass.

तेजपाल मीणा
क्षैत्रीय वन अधिकारी
धरियावद

सुनील कुमार, भावसे,
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़।

प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र

(जो लागू नही होता हे उसे काट दे)

वनखण्ड - करमेलिया पार्ट-सी	ग्राम - अम्बाव
रेंज - धरियावद	तहसील - धरियावद
वन मण्डल - प्रतापगढ़	जिला - प्रतापगढ़

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी गई भूमि का वर्गीकरण क्रमषः किस्म मगरी पायती है जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक राजस्व/112/1182-84 दिनांक 14.8.12, एवं राजस्व/एफ.2-39(9)फो.लै.बैं./13/1004-06 दिनांक 17.05.2013 एवं राजस्व/भू.प्र./2013/1138-1143 दिनांक 07.06.2013 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रत्यावर्तन प्रकरण एन.एच. 113 निम्बाहेड़ा से प्रतापगढ़ सेक्शन एवं प्रतापगढ़ से पाड़ी सेक्शन के निर्माण में वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित की गई है। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरो का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा विकास कार्य कराया गया है। इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है। क्षैत्र को रक्षित वन घोषित कराना प्रस्तावित है।
3. वर्तमान में 33.925 है. भूमि पर प्लान्टेशन एवं अन्य विकास कार्य वर्ष 2018 से 2019 में कराये गये है एवं संधारण का कार्य प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इनमें कोई खनन कार्य नही हुए है। भविष्य में अन्य क्षैत्रों में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।
4. भूमि पर वृक्षों का धनत्व कुछ क्षैत्र में 0.2 है तथा कुछ क्षैत्र में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियों सागवान, तेंदु, केशिया, बांस, आंवला, चुरेल, शीशम, नीम इत्यादि प्राकृतिक रूप से विद्यमान है तथा इस क्षैत्र में 37325 पौधों का रोपण कार्य भी विभाग द्वारा किया गया है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षैत्र राजस्व बंजर (राजस्व बंजर/चरागाह/खातेदारी/वन) - भूमि है तथा चारो और की सीमाओ का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम 5 में कर दिया गया है।
6. वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्षे)संलग्न हे एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओ एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षैत्रों की सीमा को राजस्व नक्षे में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षैत्र की जी.टी. शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
7. प्रस्तावित क्षैत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कई कारण रहे है किन्तु अब उल्लेखित वनक्षैत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट प्रकाश होना नितान्त आवश्यक है, जिसके कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।

तेजपाल मीणा
क्षैत्रीय वन अधिकारी
धरियावद

सुनील कुमार, भावसे,
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।